भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3151
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

जलपाईगुड़ी में पीएमजीकेएवाई

3151. डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जलपाईगुड़ी जिले को आवंटित खाद्यान्न की कुल मात्रा कितनी है;
(ख) जिले में खाद्य भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या है और क्या अतिरिक्त भंडारण डिपो बनाने का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) सभी पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत उनके अधिकार प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आबंटित करती है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इस विभाग द्वारा पीएमजीकेएवाई के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को कुल 39,70,620 टन खाद्यान्न (17,11,612 टन गेहूं और 22,59,008 टन चावल) आबंटित किया गया है। जिलेवार आबंटन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (28.02.2025 तक) के दौरान पीएमजीकेएवाई के तहत जलपाईगुड़ी जिले को आबंटित खाद्यान्न की कुल मात्रा 1,13,308 टन (चावल 68,089 टन और गेहूं 45,219 टन) है।

(ख): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) जिले में 68510 टन क्षमता का एक गोदाम (डाबग्राम में केंद्रीय भंडारण डिपो) संचालित किया जा रहा है।

भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और आवश्यकता और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं बनाई/किराए पर ली जाती हैं:-

...2/-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
3. केंद्रीय क्षेत्र योजना "भंडारण और गोदाम"।
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस)।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) 81.35 करोड़ व्यक्तियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के हिस्से के रूप में, पीडीएस में दक्षता में सुधार और लीकेज को कम करने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटलीकृत (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त, जिन्होंने डीबीटी कैश ट्रांसफर स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

इसके अलावा लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलैक्ट्रॉनिक रूप में) खाद्यान्नों के वितरण हेतु देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों को ईपीओएस उपकरण स्थापित करते हुए स्वचालित किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के तहत सभी 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई है, जो देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ओएनओआरसी के तहत, लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता का अनाज उठाने का अधिकार है। पीछे घर पर परिवार भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्न का हिस्सा उठा सकता है।

*****